न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–108/2016

शेख बदरूल होदा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 दाउद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
26.11.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.02.2024 संबंधित धारा 74, 77 एवं 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 19.02.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी ने अपने दावे के समर्थन में सूची के साथ दिनांक 27.04.2018 को मूल कागजात दाखिल किया है, जो अभिलेख पर है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल काजतात में खतियान रेंट रॉल की सच्ची पतिलिपि दाखिल किया है, जो लोक अभिलेख है तथा प्रतिवादी ने 04 किता रेहनामा दस्तावेज की मूल प्रति दाखिल किया है, जो 30 वर्ष से पुराना है, जिसे साबित करने के लिए किसी औपचारिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी ने पूर्व में बी0एल0टी0 पटना द्वारा वाद सं0–68/2016 में पारित आदेश दिनांक 18.08.2017 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति दाखिल किया है तथा इसके अलावा मौजा–बसवरिया का नक्शा की छायाप्रति दाखिल किया है। उपरोक्त सभी कागजातों की मूल प्रति आज दाखिल किया जा रहा है। जिसे प्रदर्श अंकित किया जाना न्यायहित में आवयश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त वर्णित सभी कागजातों को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 06.07.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि दाखिल आवेदन विधि समत नहीं है प्रस्तुत वाद में न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु दिनांक 06.03.2018 को गठन करने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा कागजात दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण जब तक न्यायालय से अभिलेख पर कागजात रखने का अनुमति प्राप्त नहीं करते है तब तक प्रस्तुत आवेदन विचारणीय नहीं है।	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–108/2016</u>

शेख बदरूल होदा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मो0 दाउद एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 26.11.2024	अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 19.02.2024 को मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 04.01.2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	